सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.स. NCST/ATY-852/RJ/12/2022-APCR **दिनांक:26.07.2024**

सेवा में,

श्रीमती ऋचा तोमर
पुलिस अधीक्षक
जिला - झालावाड़,
झालवाड़ -326001 (राजस्थान)
ई मेल: sp-jha-rj@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ बलात्कार करने तथा शिकायत वापिस लेने का दबाव बनाने के सम्बन्ध में श्रीमति गुड्डी बाई पत्नी दुलीचंद, ग्राम- राम भालती, थाना- भालता, जिला- झालावाड़, राजस्थान का अभ्यावेदन।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त सुनवाई का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि सुनवाई में लिए गए निर्णयों व आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट इस आयोग को 15 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय

(एच.आर. मीना/ H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्रीमति गुड्डी बाई
पत्नी दुलीचंद,
ग्राम - राम भालती,
थाना - भालता, जिला - झालावाड़,
राजस्थान - 326039
मोबाइल नंबर – 7412095322

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-852/RJ/12/2022-APCR

श्रीमति गुड्डी बाई, पत्नी- श्री दुलीचंद, ग्राम- राम भालती, थाना- भालता, जिला-झालावाड़, राजस्थान की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 27.06.2024, 12:00 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्रीमति गुड्डी बाई, पत्नी- श्री दुलीचंद, ग्राम- राम भालती, थाना- भालता, जिला-झालावाड़, राजस्थान से दिनांक 09.11.2022 की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उनका कहना है कि उसके साथ आरोपी द्वारा बलात्कार किया गया। इस गुनाह के तहत आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया तथा प्राथमिकी दर्ज की गयी क्रमांक118/2022, आरोपी जमानत पर छूटने के बाद याचिकाकर्ता पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा है तथा याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसे राजीनामा ना करने कि स्थिति में जानमाल का पूरा खतरा है। याचिकाकर्ता उचित कार्रवाई की मांग कर रही है।

2. आयोग द्वारा इस मामले को पुलिस अधीक्षक, जिला -झालावाड़, राजस्थान के साथ दिनांक 09/01/2023 को उठाया गया था और 07 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

3. जिसके सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, जिला -झालावाड़, राजस्थान की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग द्वारा दिनांक 27.06.2024 को पुलिस अधीक्षक, जिला -झालावाड़, राजस्थान के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस उप अधीक्षक, व्रत अकलेरा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

5. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस उप अधीक्षक, व्रत अकलेरा ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होने बताया कि उन्होने एफ़.आइ.आर. दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और उस केस में चार्ज शीट भी दाखिल कर दी है, उन्होने कहा कि आरोपी साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट से बरी हो गया है।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

1. पुलिस, शिकायतकर्ता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करे

2. अगर प्रार्थी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो पुलिस की ज़िम्मेदारी होगी

3. पुलिस, प्रार्थी से जाकर मिले कहीं प्रार्थी ने किसी दबाव में आकार कोर्ट में बयान तो नहीं दिया है

4. इस मामले में आयोग की ओर से महिला कर्मचारी द्वारा स्वयं घटना स्थल पर जाकर जांच की जाएगी

कार्रवाई रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत की जाए

आशा लकड़ा
11/07/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

National Commission for Scheduled Tribes

Case File No.- NCST/ATY-852/RJ/12/2022-APCR

<u>List of Participants</u>

<u>Officers from National Commission for Scheduled Tribes</u>

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

<u>Officers from the O/o Superintendent of Police, Distt.- Jhalawad, Rajasthan</u>

Shri Hemant Gautam , DSP O/o Superintendent of Police